फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 143/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/7/23	पत्रावली पेश है। वकील वादी अपना पत्रावली आदेश में विचारार्थ है। पत्रावली में लगाए गए दस्तावेजात का अवलोकन करते व वकील वादी की बहस को सुन कर वाद पत्र वादिनी को स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः वादिनी का वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183, 188 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है। निवृत्त निर्वाचन पंचायत से लिखा जाकर शामिल फायल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल रेकर्ड हो वाद वाद खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।	
2627	2/8/23		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़